



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

1740 (58)

संख्या: सम्बन्धन/ /2015

दिनांक15.5.2015

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

ओ०डी०बी० कालेज ऑफ एजुकेशन, चुल्हावली, टूण्डला, फिरोजाबाद।

विषय:- बी०एड० पाठ्यक्रम में एन०सी०टी०ई० रीगुलेशन 2014 के अन्तर्गत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में सम्बन्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार ओ०डी०बी० कालेज ऑफ एजुकेशन, चुल्हावली, टूण्डला, फिरोजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों (50-50 दो यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एन०सी०टी०ई० के पत्र संख्या 90346-435 दिनांक 03 मार्च, 2015 के तद्वक्रम में दिनांक 01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धता प्रदान की जाती हैं :-

- (1) महाविद्यालय में विद्यमान कमियों (यथा प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, नियुक्ति पत्र में वेतन का स्पष्टीकरण नहीं है) का निराकरण सम्बन्धता जारी होने की तिथि से एक वर्ष में महाविद्यालय पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। ऐसा न करने पर महाविद्यालय का अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्था/ महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी/करेगा।
- (3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बन्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (5) संस्था/महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानक एवं प्रवेश तथा परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

- (6) संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 61859/2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30.04.2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचनाकूटरचित असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तर दायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (8) सत्र 2015-16 के लिए महाविद्यालय को एन0सी0टी0ई0 के द्वारा एन0सी0टी0ई0 रेगुलेशन 2014 के अन्तर्गत द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, परन्तु महाविद्यालय के लिए प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भूमि सम्बन्धी मानक पर कोई निर्णय लिया जाता है तो शासनादेश महाविद्यालय पर पूर्णतया अनिवार्य रूप से लागू होगा एवं उसका अनुपालन महाविद्यालय को प्रदान किये गये सत्र से पहले पूर्ण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उसकी सम्बद्धता निरस्त मानी जायेगी।
- (9) संस्था द्वारा एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु अर्ह शिक्षकों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। शिक्षण सत्र के दौरान आकस्मिक निरीक्षण के समय शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य मानक पूर्ण न होने की स्थिति में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, ओ0डी0बी0 कालेज ऑफ एजुकेशन, चुल्हावली, टूण्डला, फिरोजाबाद।
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर दर्शाने हेतु।
7. उप/सहायक कुलसचिव सम्बन्धन विभाग/परीक्षा विभाग।
8. प्रभारी कुलसचिव कार्यालय।

कुलसचिव